

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नानकराम व अन्य बनाम सतवीर उर्फ सत्यवीर व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियलिया जज

प्रार्थना पत्र - 212 जा0डी0 संख्या 175 वर्ष 2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

207/2018

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का क्लेम प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 04.09.2018 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 783/0.25, 768/0.03, 784/0.04, 785/0.04, 786/0.04, 787/0.05, 1250/0.48, 12/0.10, 791/0.32, 807/0.23 है0 वाके ग्राम सलारपुर एवं 19/0.18, 38/1.08 है0 वाके ग्राम शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी तिथि तक किसी प्रकार का बेचान ना करें। क्या न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्गे अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करें। वकील प्रार्थी वास्ते तलवी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ऐ0डी0 के नोटिस तलबाने पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

5-12-18 आज केनामर वाद पत्रावली के कामवाली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित मूल दावे के कामवाली पेश हुई। दिनांक 5-12-18 को पेश हो।

5-12-18 पत्रावली पेश हुई। वकिलाय फरीकन उपस्थित साहब दोरे पर पेश है। दिनांक 29-2-19 को पेश हो।

13/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकिलाय फरीकन उपस्थित पूर्वादेशानुसार वास्ते... दिनांक 12/11/19 को पेश हो।

रीडर

13/12/19 पत्रावली पेश हुई। एकुलाय फरीकन उपस्थित
पूर्वदिशानुसार वास्तो ~~१५/१२/२०~~
दिनांक 12/12/20 को पेश हो।

205/20 कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण नॉकडाउन
है जिस कारण न्यायालय में कार्यवाही की सुनवाई नहीं
की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वदिशानुसार आगामी
दिनांक 29/01/20 को प्रस्तुत हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

29/01 कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण नॉकडाउन
है जिस कारण न्यायालय में कार्यवाही की सुनवाई नहीं
की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वदिशानुसार आगामी
दिनांक 04/01/21 को प्रस्तुत हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

04/02 कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण नॉकडाउन
है जिस कारण न्यायालय में कार्यवाही की सुनवाई नहीं
की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वदिशानुसार आगामी
दिनांक 8/4/21 को प्रस्तुत हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

8/4 कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण नॉकडाउन
है जिस कारण न्यायालय में कार्यवाही की सुनवाई नहीं
की जा सकती है इसलिये पत्रावली पूर्वदिशानुसार आगामी
दिनांक 28/07/21 को प्रस्तुत हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

28/07/21 पत्रावली कार्रवाई हुई। दिनांक 01/08/2021 को पेश हो।

07/08/21 पत्रावली नसी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर आज पेश हुई।
नसी का वाद नोट प्रेस में 29/08/21 किया गया। अतः प्रार्थना पत्र
पत्रावली 29/08/21 किया जाता है। प्रार्थना पत्र संलग्न सूच 01/8/21